परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 28.10.2020 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 28.10.2020, दिन बुधवार को मध्याह्न 12:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 अंशु यादव, आचार्या, आई.बी.एम. विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्या
5.	प्रो0 संदीप सिंह, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
7.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
8.	डा0 नन्दिनी उपाध्याय, संकायाध्यक्ष–विधि संकाय, दयानन्द कालेज आफ लॉ, कानपुर ।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	डा0 महेश प्रसाद यादव, संकायाध्यक्ष–कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर, इटावा ।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक कुलसचिव(सेमेस्टर), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :–

मद सं0–1. एल0एल0बी0/बी0ए0एल0एल0बी0 के सम/विषम सेमेस्टर/बैक पेपर की परीक्षा कराने/प्रमोशन किए जाने के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष–विधि संकाय से प्राप्त आख्या/संस्तुति पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि एल0एल0बी0/बी0ए0एल0एल0बी0 के सम/विषम सेमेस्टर/बैक पेपर की परीक्षा कोविड–19 महामारी के कारण अद्यतन सम्पन्न नहीं करायी जा सकी है। उक्त परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने हेतु विधि संकाय की संकायाध्यक्ष–डा0 नन्दिनी उपाध्याय को भी विशेष आमंत्रित सदस्या के रूप में आमंत्रित किया गया था। संकायाध्यक्ष–विधि संकाय द्वारा समिति के समक्ष बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09–06–2020 तथा बी.सी.आई. की दिनांक 05–10–2020 को सम्पन्न हुयी सामान्य परिषद की बैठक में विधि परीक्षाओं के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के कार्यकारी अंश को पढ़कर सुनाया गया जिसमें मुख्यतः उल्लेख है कि अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य सभी वर्षों/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत किए जाने तथा परिस्थितियॉ सामान्य होने पर प्रोन्नत किए गए समस्त छात्र/छात्राओं की भी परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने का उल्लेख है। समिति के सभी सदस्यों द्वारा एकमत से सुझाव दिया गया कि बी.सी.आई के निर्देशानुसार यदि प्रोन्नत किये गये परीक्षार्थियों की बाद में परीक्षा करायी जानी है तो विश्वविद्यालय प्रशासन विधि पाठ्यक्रम के सभी सम/विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के सम्बन्ध में तैयारियों का ऑकलन करते हुए अन्तिम सेमेस्टर के साथ सभी सम/विषम

29.10.2020

28/10/2020

Scanned with CamScanner

सेमेस्टर की परीक्षाऐं एक साथ सम्पन्न कराने पर विचार कर सकता है। सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की तैयारियाँ पूर्ण हैं तथा दीपावली के बाद एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी. के सम/विषम सेमेस्टर पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा/भूतपूर्व/बैक पेपर परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जायेगा।

उक्त के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से एल.एल.बी. के II, IV एवं VI सेमेस्टर तथा बी.ए.एल.एल.बी. के II, IV, VI, VII, IX एवं Xth सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा/भूतपूर्व/बैक पेपर परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम अतिशीघ्र घोषित करते हुए तदनुसार परीक्षाऐं सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव/सहा0कुलसचिव(सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–2 **स्नातक 6th सेमेस्टर यथा–बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी जो द्वितीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर के एक या अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हैं, की परीक्षा कराने/प्रमोशन के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार –**

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यू0जी0सी0 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परीक्षाओं के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के अन्तिम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की परीक्षाऐं माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 में सम्पन्न करायी जा चुकी हैं एवं तत्सम्बन्धी परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। परन्तु अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके ऐसे परीक्षार्थी जो द्वितीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर के एक अथवा कई प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हैं, के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्नातक 6th सेमेस्टर यथा–बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी जो द्वितीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर के एक अथवा कई प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हैं, को नियमानुसार बैक पेपर के लिए अर्ह होने की दशा में उसी सेमेस्टर के शेष उत्तीर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के अंकों का औसत अंक अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों में प्रदान करते हुए तदनुसार उनका परीक्षाफल घोषित किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पादित की जाय तथा कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था केवल इसी सत्र के लिए लागू की जायेगी तथा भविष्य के लिए इसे दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(कोडिंग)/सहा0कुलसचिव(सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–3 **बी0एस0सी0(कृषि)/एम0एस0सी0(कृषि) पाठ्यक्रम के अवशेष सम सेमेस्टर(अन्तिम सेमेस्टर को छोड़कर) की परीक्षाऐं एवं सम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की परीक्षा कराने/प्रमोशन किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार –**

निर्णय– सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण यू0जी0सी0 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परीक्षाओं के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस0सी0(कृषि)/एम0एस0सी(कृषि) पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर में परीक्षाऐं अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न करायी जा चुकी हैं तथा उक्त पाठ्यक्रम के द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षाऐं कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण सम्पन्न नहीं करायी जा

28/10/2020

Scanned with CamScanner

सकी हैं। सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं को किसी सेमेस्टर के एक अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है परन्तु अन्तिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम, पूर्व के सम्बन्धित सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही घोषित किया जाता है। कृषि संकाय के संकायाध्यक्ष–डा0 महेश प्रसाद यादव, जनता कालेज, बकेवर भी समिति कें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे। संकायाध्यक्ष द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एस0सी(कृषि) अष्टम सेमेस्टर का परीक्षाफल सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में दिये गये आन्तरिक अंको के आधार पर तैयार किया जाता है एवं द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षाएँ अभी तक सम्पन्न नहीं करायी गयी हैं तथा उक्त सेमेस्टर में जिन परीक्षार्थियों के बैक पेपर लगा हुआ है, उनके सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जाना है। संकायाध्यक्ष–कृषि संकाय द्वारा समिति के समक्ष सुझाव दिया गया कि बी0एस0सी0(कृषि) के द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर(जिनकी परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुयी हैं) के छात्र/छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाय तथा अगले सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के उपरान्त प्राप्त परिणाम के आधार पर औसत अंक प्रोन्नत सेमेस्टर में प्रदान किए जा सकते हैं तथा पूर्व सेमेस्टर में नियमानुसार अर्ह होने की दशा में बैक पेपर छात्र/छात्राओं को उसी सेमेस्टर में उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंको/ग्रेड के आधार पर औसत अंक/ग्रेड प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार एम0एस0सी0(कृषि) के प्रथम वर्ष के वार्षिक एवं भूतपूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा भी सम्पन्न न हो पाने के कारण उन्हें प्रोन्नत किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी0एस0सी0(कृषि) के द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर(जिनकी परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुयी हैं) के छात्र/छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाय तथा अगले सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के उपरान्त प्राप्त परिणाम के आधार पर औसत अंक प्रोन्नत सेमेस्टर के सैद्वान्तिक प्रश्नपत्रों में प्रदान किए जायेंगे तथा पूर्व सेमेस्टर में नियमानुसार बैक पेपर में अर्ह होने की दशा में छात्र/छात्राओं को उसी सेमेस्टर के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंको/ग्रेड के आधार पर औसत अंक/ग्रेड प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार एम0एस0सी0(कृषि) के प्रथम वर्ष के वार्षिक एवं भूतपूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा भी सम्पन्न न हो पाने के कारण उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का निर्णय लिया गया। कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था केवल सत्र 2019–20 के लिए लागू की जायेगी तथा भविष्य के लिए इस दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(कोडिंग)/सहा0कुलसचिव(सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–4 विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2020–21 में अन्तिम वर्ष की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने पर विचार –

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि सत्र 2019–20 में स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) व्यवस्था 58 प्रश्नपत्रों में लागू करते हुए तद्नुसार परीक्षाएँ सम्पन्न करायी गयी हैं। वर्तमान में तृतीय वर्ष में कला संकाय के ग्यारह(11) प्रश्नपत्र, वाणिज्य संकाय के 02 प्रश्नपत्र एवं विज्ञान संकाय के 06 प्रश्नपत्र कुल 19 प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करायी गयी है।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव को देखते आगामी सत्र की परीक्षाएँ समय से सम्पन्न कराये जाने तथा अन्तिम वर्ष का परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किये जाने की दृष्टि से अन्तिम वर्ष के विषयों में बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों की संख्या 33 प्रतिशत से बढ़ाये जाने हेतु

28.10.2020

28/10/2020

Scanned with CamScanner

प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण वर्तमान सत्र में अन्तिम वर्ष में अधिकांश प्रश्नपत्र सैद्धान्तिक होने के कारण उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पूरा न हो पाने के कारण विलम्ब हो रहा है तथा सत्र 2020–2021 की परीक्षाएँ समय से प्रारम्भ कराकर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के दृष्टिगत केवल आगामी सत्र के लिए कुछ और प्रश्नपत्रों को बहुविकल्पीय व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।

सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्नातक अन्तिम वर्ष की सत्र 2020–21 की परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने के प्रकरण पर निर्णय लिए जाने हेतु उपकुलसचिव(अतिगोपनीय) एवं परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(अतिगोपनीय)/परीक्षा नियन्त्रक

मद सं0–5 बी.पी.टी. बी.एस.सी.(एम.एल.टी.), बी.एस.सी.(मेडिकल माइकोबायालॉजी), बी.एस.सी.(ह्यूमन न्यूट्रीशन), बी.एस.सी.(हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), बी0एस0सी0(योग), एम.पी.टी. एवं एम0एस0सी0(एम0एल0टी0) के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदया के आदेश/निर्णय के कम में परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार –

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी.पी.टी. बी.एस.सी.(एम.एल.टी.), बी.एस.सी.(मेडिकल माइकोबायालॉजी), बी.एस.सी.(ह्यूमन न्यूट्रीशन), बी.एस.सी.(हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), बी0एस0सी0(योग), एम.पी.टी. एवं एम0एस0सी0(एम0एल0टी0) के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदया के आदेश/निर्णय से संसूचित होते हुए उक्तानुसार परीक्षाएँ सम्पन्न कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा/कोडिंग)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–6 श्री दिलीप सिंह, छात्र बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष 2019 अनुकमांक 4037142 के गणित प्रथम प्रश्नपत्र(वस्तुनिष्ठ) के ओ0एम0आर0 शीट में बुकलेट सीरीज गलत अंकित कर दिय जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदया द्वारा लिए गये निर्णय से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार –

निर्णय– श्री दिलीप सिंह, छात्र–बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष 2019, रोल नं0 4037142, महाविद्यालय–एस0सी0बोस पी0जी0 कालेज, गौसगंज, हरदोई द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है कि छात्र ने प्रथम वर्ष की परीक्षा शिवराज सिंह रामप्यारी महाविद्यालय, गौसगंज, हरदोई से दी थी। छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका देखने के उपरान्त अवगत कराया गया है कि गणित प्रथम प्रश्नपत्र 110एन बुकलेट कोड–ए की परीक्षा दी थी परन्तु छात्र की बुकलेट में कोड–ए को काटकर सी कर दिया गया। छात्र द्वारा उक्त प्रश्नपत्र का मूल्यांकन बुकलेट कोड–ए के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री दिलीप सिंह, छात्र–बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष 2019, रोल नं0 4037142, महाविद्यालय–एस0सी0बोस पी0जी0 कालेज, गौसगंज, हरदोई के गणित प्रथम प्रश्नपत्र(कोड–110एन) के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को कोड–ए के अनुसार मूल्यांकित कराते हुए तदनुसार छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने तथा केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा केन्द्र–शिवराज सिंह रामप्यारी महाविद्यालय, गौसगंज, हरदोई से इस विषय में चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा/कोडिंग)/सिस्टम मैनेजर

28.10.2020

28/10/2020

Scanned with CamScanner

मद सं0-7 बी0एड0 एवं एम0एड0 प्रथम वर्ष सत्र 2019-20 के छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराने/प्रमोशन किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28/09/2020 के मद सं0-6 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में संकायाध्यक्ष-शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रेषित आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार –

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एड0 एवं एम0एड0 प्रथम वर्ष सत्र 2019-20 के छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराने/प्रमोशन किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28/09/2020 के मद सं0-6 में निर्णय लिया गया था कि उक्त के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष-शिक्षाशास्त्र से आख्या प्राप्त कर ली जाय तदोपरान्त परीक्षा समिति के निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। सचिव द्वारा संकायाध्यक्ष-शिक्षाशास्त्र से दिनांक 27/10/2020 को प्राप्त आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी–

1– कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एवं उत्तर प्रदेश सरकार तथा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार के निर्देशानुसार अन्य पाठ्यक्रमों की भाँति बी0एड0 एवं एम0एड0 प्रथम वर्ष सत्र 2019-20 के छात्र/छात्राओं के आन्तरिक अंकों को ऑनलाइन प्रविष्ट कराये जाने के उपरान्त प्रोन्नत किया जायेगा तथा छात्रों के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के प्रश्नपत्रों में औसत अंक प्रदान किए जायेंगे।

2– प्रोन्नति की कार्यवाही बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष के उन्ही छात्र/छात्राओं पर लागू की जायेगी जिनके आन्तरिक अंक विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुके हों तथा जिनका परीक्षा फार्म महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार भरा गया होगा। उक्त अन्तिम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने के पूर्व एक समिति जिसमें संकायाध्यक्ष-शिक्षाशास्त्र, उपकुलसचिव(परीक्षा) एवं परीक्षा नियंत्रक होंगे, द्वारा परिनिरीक्षण के उपरान्त संस्तुति के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की संस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गयी।

कार्यवाही–संकायाध्यक्ष–शिक्षाशास्त्र/उपकुलसचिव(परीक्षा/कोविड)/सिस्टम मैनेजर/परीक्षा नियंत्रक

मद सं0-8 वार्षिक परीक्षा–2020 के स्नातक एवं परास्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के भूतपूर्व परीक्षार्थी(जिनकी कोई भी परीक्षा सम्पन्न नहीं हुयी है) एवं सम सेमेस्टर पाठ्यक्रम(अन्तिम सेमेस्टर को छोड़कर) के भूतपूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा कराने/प्रमोशन के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड-19 की महामारी के कारण वार्षिक परीक्षा–2020 के स्नातक एवं परास्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में 18 मार्च, 2020 से स्थगित कर दी गयी थी। स्नातक एवं परास्नातक मुख्य परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सत्र 2019-20 के ऐसे भूतपूर्व छात्र छात्र/छात्राएँ जिनकी एक भी परीक्षा सम्पन्न नही हुयी है, को आगामी कक्षा/सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाने का प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्नातक एवं परास्नातक मुख्य परीक्षा एवं अन्य वार्षिक परीक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सत्र 2019-20 के ऐसे भूतपूर्व छात्र छात्र/छात्राएँ जिनकी एक भी परीक्षा सम्पन्न नही हुयी है, को आगामी कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का निर्णय लिया गया तथा अगली कक्षा की परीक्षा भविष्य में सम्पन्न कराये

५
28-10-2020

28/10/2020

Scanned with CamScanner

जाने के उपरान्त प्राप्त परिणाम के आधार पर प्रोन्नत किए गये कक्षा में औसत अंक प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा / कोडिंग) / सिस्टम मैनेजर

मद सं0–9 **ठा0 राजेश सिंह महाविद्यालय, पचावली रोड, इटावा के बी0काम0 तृतीय वर्ष के 114 छात्रों की मौखिकी परीक्षा के ऑनलाइन प्रविष्ट किए गये अंकों को हटाकर संशोधित सूचीनुसार अंक अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में**

निर्णय – सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ठा0 राजेश सिंह महाविद्यालय, पचावली रोड, इटावा (EW35) के बी0काम0 तृतीय वर्ष–2020 के 114 छात्रों की मौखिकी परीक्षा दिनांक 25–09–2020 को सम्पन्न करायी गयी, जिसमें आन्तरिक परीक्षक–डा0 एच0एस0एन0 गुप्ता एवं वाह्य परीक्षक– डा0 ए0आर0 खान नियुक्त किये गये थे। महाविद्यालय द्वारा उल्लेख किया गया कि कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा त्रुटिवश गलत अंक ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में नियुक्त आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों से दूरभाष पर एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर आपरेटर की त्रुटि के कारण जो अंक ऑनलाइन प्रविष्ट किए गये हैं वह अंक परीक्षकों द्वारा नहीं दिये गये थे तथा परीक्षकों ने उनके द्वारा प्रदान किए गये अंकों की सूची भी प्रेषित की गयी है। साथ ही परीक्षकों द्वारा संशोधित सूची को मान्य करते हुए संशोधित अंक प्रविष्ट कराये जाने हेतु कहा गया है।

सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही सम्पादित कराते हुए महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट किए अंकों तथा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गये अंकों का मिलान कराया गया जिसमें पाया गया कि कुल सम्मिलित 114 छात्रों में 07 छात्र / छात्राओं जिनके रोल नं0 क्रमशः 0603003, 0603018, 0603030, 0603038, 0603058, 0603086 एवं 0603089 हैं, के ऑनलाइन प्रविष्ट अंक 01–01 ज्यादा हैं शेष समस्त 107 छात्र / छात्राओं के अंक या तो परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों के बराबर हैं अथवा कम हैं।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकनोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी कि आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा ऑनलाइन अंक अपने सामने क्यों नहीं प्रविष्ट कराये गये तथा महाविद्यालय द्वारा भी उक्त मौखिकी परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन प्रविष्ट कराये जाने में गम्भीर लापरवाही की गयी है। अतः परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से इसे महाविद्यालय एवं परीक्षकों की लापरवाही मानते हुए ठा0 राजेश सिंह महाविद्यालय, पचावली रोड, इटावा (EW35) पर रु0 10,000 / – का आर्थिक दण्ड विश्वविद्यालय कोष में जमा करने के उपरान्त आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों की मूल प्रति प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार परीक्षाफल घोषित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी साथ ही वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों को भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न किए जाने हेतु कड़ा चेतावनी पत्र निर्गत किए जाने की अनुशंसा की गयी।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा / कोडिंग) / सिस्टम मैनेजर / प0नियं0 कार्या0

मद सं0–10 **अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से**, में कोई प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

28.10.2020
डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव, परीक्षा समिति

28/10/2020
प्रो0(सीलिमा गुप्ता)
कुलपति / अध्यक्ष

Scanned with CamScanner